

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक :- 1262 /14-1
सेवामें,

एटा : दिनांक : 26, 12, 2015.

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय :- एटा-टूण्डला मार्ग (एस.एच-31) के कि०मी० 26.088 की पटरी दाँयी पर स्थित ग्राम बाबरपुर के गाटा संख्या 988 तहसील जलेसर जिला एटा में विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.92976 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1221/एटा-13615/दिनांक 04.12.2015

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा द्वारा प्रेषित आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आगम एवं निर्गम मार्ग का निर्माण किया जायेगा तथा इनके मध्य पड़ने वाले बफर जोन को संरक्षित रखते हुए किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इस तरह से बफर जोन में अवस्थित वृक्षों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव के साथ संलग्नक 29 लेआउट प्लान जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय

(सेम्मारन एम.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

एटा।

पत्रांक:- /14-1 समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सेम्मारन एम.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

एटा।